FORM III

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)

लक्ष्मी देवी वगै0 बनाम भूमिधारी

किस्म मुकदमा दावा बाबत घोषणा एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती मु0नं0 529 सन् 2025 जीसीएमएस नं. 2025/869

ख	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
07-08-2025	रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण श्री शाहरूख खान एड0 उपस्थित। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी की तलबी जरिये सम्मन की जाकर एवं तहसीलदार नीमकाथाना से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाने हेतु तहरीर जारी होकर पत्रावली 22.08.2025 को पेश हो। (राजवीर सिंह यादव) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (राज.) पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 10/10/25 को पेश हों।	
10/10/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 14/10/25 को पेश हों।	
14/10/2025	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उप0। प्रतिवादी की तामील पूर्व में सम्यक रूप से होना पायी गयी। बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित। अतः प्रतिवादी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं। तहसीलदार नीमकाथाना से पूर्व में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जो अभिलेख पर ली जाती हैं। प्रकरण में बहस वकील वादीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने मुताबिक अनुतोष दावा डिक्री फरमाने का निवेदन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, संलग्न दस्तावेजात एवं तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं वकील वादीगण की बहस पर [illegible] मनन [illegible]या। चूंकि वादग्रस्त आराजी में वादीगण का [illegible] तथा पत्नी नारायण व ख्याली पुत्र नारायण'' हैं जबकि वादीगण का नाम ''लच[illegible] व ख्याली पुत्र नारायण'' की जगह क्रमशः ''लक्ष्मी देवी पत्नी नारायण व लीलाराम मंगावा पुत्र नारायण राम'' सही होना बताया हैं। उक्त तथ्य की पुष्टि संलग्न दस्तावेजात यथा– मतदाता पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.28 12:41:47 IST
Reason: SelfAttested

तथा तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त रिपोर्ट से होती हैं। अतः वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रकरण में घोषणा इस आशय की जारी की जाती हैं कि:–

आदेश

तन ग्राम चरणसिंह नगर पटवार हल्का सिरोही तहसील नीमकाथाना जिला सीकर अवस्थित वादग्रस्त आराजी ख. नं. 3040/459, 3041/459, 3042/459, 3043/461, 3044/461, 3045/461, 460, 441 एवम् तन ग्राम सिरोही अवस्थित आराजी ख0नं0 1513, 3141/1511, 3142/1511, 444, 445, 449, 450, 454 में वादीगण का गलत दर्ज नाम "लच्छी देवी पत्नी नारायण व ख्याली पुत्र नारायण" के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम क्रमशः "लक्ष्मी देवी पत्नी नारायण व लीलाराम मंगावा पुत्र नारायण राम" दुरूस्त किया जाता हैं। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.28 12:41:47 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम **नीमकाथाना (सीकर)**
बइजलास **राजवीर सिंह यादव R.A.S.**
1. लक्ष्मी देवी पत्नी नारायण वगैरह

–वादीगण

बनाम

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

–प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती
मुकदमा नं. 429 सन् 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस** व हाजिरी **श्री शाहरूख खांन एडवोकेट** मिनजानिब मुद्दई रूबरू .... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि **तन ग्राम चरणसिंह नगर पटवार हल्का सिरोही तहसील नीमकाथाना जिला सीकर अवस्थित वादग्रस्त आराजी ख. नं. 3040/459, 3041/459, 3042/459, 3043/461, 3044/461, 3045/461, 460, 441 एवम् तन ग्राम सिरोही अवस्थित आराजी ख0नं0 1513, 3141/1511, 3142/1511, 444, 445, 449, 450, 454 में वादीगण का गलत दर्ज नाम "लच्छी देवी पत्नी नारायण व ख्याली पुत्र नारायण" के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम क्रमशः "लक्ष्मी देवी पत्नी नारायण व लीलाराम मंगावा पुत्र नारायण राम" दुरूस्त किया जाता हैं। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।**

.निज.....................मुबलिग...बाबत...खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.........फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें। बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 14 माह 10 सन् 2025** को जारी की गई।

दस्तखत.............
ओहदा.............

मुहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.28 12:41:47 IST
Reason: SelfAttested

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिग्री के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।